कार्यालय :– जिला एवं सत्र न्यायालय, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.)

Telephone No. 07856-252545, E-mail id dantewada.court@nic.in

सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन

क्रमांक 01 /भर्ती समिति/2022 दंतेवाड़ा दिनांक 12/01/2022

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि– 25/02/2022 संध्या 5.00 बजे तक

जिला एवं सत्र न्यायालय, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के अंतर्गत निम्नानुसार पदों की सीधी भर्ती से पूर्ति हेतु बस्तर संभाग के उम्मीद्वारों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन–पत्र आमंत्रित किये जाते है। यह स्पष्ट किया जाता है, कि बस्तर संभाग के मूल निवासी ही आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने के लिए पात्र होंगें। बस्तर संभाग के बाहर के निवासरत् आवेदकों का आवेदन–पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

क्र.	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	आरक्षित पद												अनारक्षित पद			
			अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति 76%				अन्य पिछड़ा वर्ग							
			मुक्त	महिला	भूतपूर्व सैनिक	दिव्यांग	मुक्त	महिला	भूतपूर्व सैनिक	दिव्यांग	मुक्त	महिला	भूतपूर्व सैनिक	दिव्यांग	मुक्त	महिला	भूतपूर्व सैनिक	दिव्यांग
1	स्टेनो ग्राफर (हिन्दी)	03	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	स्टेनो टायपिस्ट	02	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	सहायक ग्रेड–3	22	-	-	-	-	13	3	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग	27	-	-	-	-	18	3	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-

संकेतक :– मु.–मुक्त, म.– महिला, दि.–दिव्यांग, भूपू. सै.– भूतपूर्व सैनिक

महत्वपूर्ण टीप :–

1. पदों की संख्या परिवर्तनीय है।

2. महिलाओं के नियमानुसार होरिजेन्टल आरक्षण दिया जायेगा। किसी कारण वश महिला अभ्यर्थी का चयन न होने पर यदि पद रिक्त रह जाता है, तो ऐसे पद अग्रणित नहीं किये जायेगें। वरन उसी प्रवर्ग के पुरूष उम्मीदवार द्वारा भरे जा सकेंगे।

भर्ती की पात्रता एवं शर्तें

1. स्टेनोग्राफर (हिन्दी) पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक/तकनीकी अर्हताएं :–

अ– वेतनमान– (छ.ग. वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत वेतन मेट्रिक्स लेवल–7) (28700–91300)

ब– शैक्षणिक योग्यता–

(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम **45 प्रतिशत्** अंकों तथा आरक्षित वर्ग (अजा/अजजा/अपिव) के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम **40 प्रतिशत्** अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।

(2) छत्तीसगढ़ या मध्यप्रदेश शीघ्र लेखन तथा मुद्रलेखन बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा हिन्दी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।

(3) किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (DCA) प्रमाण पत्र के साथ एम.एस. वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम कम्प्यूटर ज्ञान होना चाहिए।

टीपः– हिन्दी शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण न होने वाले अभ्यर्थी आवेदन पत्र प्रस्तुत न करें।

2. स्टेनो टायपिस्ट पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक/तकनीकी अर्हताएं :–

अ– वेतनमान–(छ.ग. वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत वेतन मेट्रिक्स लेवल–4) (19500–62000)

ब— **शैक्षणिक योग्यता—**

(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम **45 प्रतिशत्** अंकों तथा आरक्षित वर्ग (अजा/अजजा/अपिव) के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम **40 प्रतिशत्** अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।

(2) छत्तीसगढ़ या मध्यप्रदेश शीघ्र लेखन तथा मुद्रलेखन बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा हिन्दी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।

(3) किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (DCA) प्रमाण पत्र के साथ एम.एस.वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम कम्प्यूटर ज्ञान होना चाहिए।

टीपः— हिन्दी शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण न होने वाले अभ्यर्थी आवेदन पत्र प्रस्तुत न करें.

3. **<u>सहायक ग्रेड—3</u> (एक्जीक्यूशन क्लर्क, आदेशिका लेखक, साक्ष्य लेखक, सेल अमीन, कॉपिस्ट, कार्यालय मुद्रक) पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक/तकनीकी अर्हताएं :—**

अ— **वेतनमान—**(छ.ग. वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत वेतन मेट्रिक्स लेवल—4) (19500—62000)

ब— **<u>शैक्षणिक योग्यता</u>—**

(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम **45 प्रतिशत्** अंकों तथा आरक्षित वर्ग (अजा/अजजा/अपिव) के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम **40 प्रतिशत्** अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।

(2) छत्तीसगढ़ या मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।

(3) किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (DCA) प्रमाण पत्र के साथ एम.एस.वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम कम्प्यूटर ज्ञान होना चाहिए।

टीप:– 1. हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण न होने वाले अभ्यर्थी आवेदन पत्र प्रस्तुत न करें.

–: आयु सीमा एवं पात्रता की अन्य शर्तें:–

(1) दिनांक 01.01.2022 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो परंतु 35 वर्ष की आयु पूरी न की हो। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन रायपुर का ज्ञापन कमांक एफ–3–2/2015/1–3 नया रायपुर, दिनांक 30.01.2019 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती में निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष की छूट कैलेण्डर वर्ष 01.01.2019 से 31.12.2023 की समाप्ति तक प्रदान की गई है।

उच्चतम आयु सीमा में छूट:– निम्नलिखित श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट रहेगी:–

2(एक)(1) यदि अभ्यर्थी छ.ग. शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति का है, तो आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष की छूट दी जायेगी।

2(एक)(2) यदि अभ्यर्थी छ.ग.शासन द्वारा घोषित अ.पि.व. का है, तो सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक/एफ–7–25–93/1असoपo दिनांक 20.01.1994 के अंतर्गत आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष की छूट दी जायेगी।

2(एक)(3) छत्तीसगढ़ शासन स्थायी/अस्थायी/वर्कचार्ज या कंटिजेंनसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मंडलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 43 वर्ष तक रहेगी। यही अधिकतम आयु परियोजना कियान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिये भी स्वीकार्य होगी।

2(एक)(4) ऐसी अभ्यर्थी जो छंटनी किया सरकारी सेवक को अपनी आयु में उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 07 वर्ष की काल अवधि, भले ही काल अवधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा परंतु उसके परिणाम स्वरूप अधिकतम आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण:–

छंटनी किये गये शासकीय सेवक, से तात्पर्य है जो इस राज्य की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम 06 माह तक रहा हो, तथा किसी रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्टर्ड कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीक

से अधिक से अधिक 03 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवा मुक्त किया गया हो।

2(एक)(5) ऐसी अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपने आयु में से उसके द्वारा पहली की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा। किन्तु उसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु से सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो।

2(एक)(6) महिलाओं के लिये आयु में शासन के नियमानुसार 10 वर्ष शिथिलनीय होगी, जो कि उनके वर्ग में मिलने वाली आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त होगी।

2(एक)(7) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक फ 1–2/2002/1/3 दिनांक 02.06.2004 के अनुसार शिक्षाकर्मियों को शासकीय सेवा में उतने वर्ष की छूट दी जायेगी जितने वर्ष शिक्षाकर्मी के रूप में सेवा की है। इसके लिये 06 माह से अधिक सेवा की अवधि 01 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी। जिन वर्गो को पूर्व से ही आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जा रहा है (अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विधवा/परित्यक्ता महिला आदि वे इस निर्देश से प्रभावित नही होगें।

2(एक)(8) स्वयं सेवी नगर सैनिकों (वालेंटरी होमगार्ड) एवं अनायुक्त अधिकारियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की सेवा की उतनी कालावधि तक छूट 08 वर्ष की सीमा के अध्याधीन रहते हुये दी जायेगी। किंतु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिये।

2(एक)(9) विधवा परित्यक्तता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिये उच्चतम आयु सीमा में 05 वर्ष की अतिरिक्त छूट रहेगी।

2(दो)(1) आदिम जाति हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के संवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन कमांक सी–3/10/85/3/1 दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जायेगी।

2(दो)(2) विकम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन कमांक सी–3/18/85/3/1 दिनांक03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 05 की छूट दी जायेगी।

टीप—

01— बिंदु कमांक 2(एक) में अधिक लाभकारी वाली एक ही छूट मिलेगी।

02– बिंदु कमांक 2(दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यो/योजनाओं के अंतर्गत दी गयी छूटों में यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूटों का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में सर्वाधिक (अधिकतम) लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिये देय छूट मिलेगी। यह छूट बिंदु कमांक 01 में दी गयी विशेष छूट के अतिरिक्त होगी।

उदाहरण–

यदि कोई आवेदक अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का होने के साथ–साथ ग्रीनकार्ड धारी तथा विकम पुरस्कार प्रात हो तो उसे अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये अधिकतम आयु सीमा में निर्धारित 05 वर्ष की छूट के साथ प्रोत्साहन वाले अधिक लाभकारी विकम पुरस्कार के आधार वाली 05 वर्ष की छूट दी जायेगी।

3– उपरोक्त 2(एक) और 2(दो) में उल्लेखित उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही होगी।

4– कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिये निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति का पात्र नही होगा।

5– कोई भी उम्मीदवार जिसके एक से अधिक पति/पत्नी जीवित है, नियुक्ति के लिये पात्र नही होगा।

6– इसके अतिरिक्त आयु सीमा छूट एवं निर्योग्यता (अपात्रता) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशा अनुसार भी लागू रहेगा।

(2) <u>अन्य शर्तें</u> –

1. रोजगार कार्यालय में उनका जीवित पंजीयन हो (कार्यरत् शासकीय सेवकों को छूट होगी)।
2. चयनित उम्मीद्वारों को 03 वर्ष की परिवीक्षा में रखा जायेगा।
3. चयनित उम्मीद्वारों को दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के बाह्य न्यायालयों में भी नियुक्ति की जा सकेगी।
4. चयनित उम्मीद्वारों द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास प्रमाण पत्र फर्जी पाये जाने की दशा में चयनित उम्मीदवार को सूचना दिये बिना उसकी सेवा समाप्त किया जाकर दाण्डिक कार्यवाही संस्थित की जा सकेगी।

5. उपरोक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया/चयन के समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी के द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6. आवेदन करने की तिथि में समस्त आवश्यक प्रमाण, पत्र जीवित (वैध) होना अनिवार्य है।

7. जो अभ्यर्थी शासकीय सेवा/निगम/मण्डल/उपकम में कार्यरत् है, उन्हें नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

8. कोई पुरूष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नि जीवित हो और कोई महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पत्नि जीवित है वह नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, परंतु यदि शासन का यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने का विशेष कारण है, तो ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगे।

9. कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया हो वह नियुक्ति के पात्र नहीं होगा।

10. कोई भी उम्मीद्वार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्युनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

11. यदि विज्ञापित रिक्त पदों के विरूद्ध अत्यधिक संख्या में आवेदन प्रस्तुत होते है, तो ऐसे पदों की पूर्ति हेतु लिखित परीक्षा आयोजित की जा सकेगी। जिसकी सूचना चयन समिति के द्वारा पृथक से दी जावेगी।

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रकिया

(1) आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किये जा सकेंगे। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र **दिनांक 25.02.2022 की संध्या 5.00 बजे तक** बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद **स्टेनोग्राफर (हिन्दी)/स्टेनो टायपिस्ट/सहायक ग्रेड–03** के पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखा हो, जिला एवं सत्र न्यायाधीश दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ0ग0) पिन कोड नं. 494449 के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जमा कर सकेंगे। पंजीकृत **डाक/स्पीड** पोस्ट के माध्यम से प्रेषित आवेदन पत्र दिनांक 25.02.2022 तक कार्यालय को प्राप्त हो जाना चाहिए। नियत तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास दिव्यांगता आदि से संबंधित समस्त आवश्यक प्रमाण पत्रों की स्व–प्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करना आवश्यक होगा।

(2) विज्ञापन का विस्तृत अवलोकन कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दंतेवाड़ा के शासकीय वेबसाईट https://districts.ecourts.gov.in/dantewada में किया जा सकता हैं

तथा विज्ञापन में दिये गये आवेदन पत्र के प्रारूप का उपयोग डाउनलोड कर किया जा सकता है।

(3) ऐसे अभ्यर्थी जो एक से अधिक पदों के लिये आवेदन करना चाहते हैं उन्हें पृथक–पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा लिफाफे के उपर आवेदित पदों का नाम स्पष्ट रूप से उल्लेखित करना होगा।

(4) आवेदन पत्र एवं प्रवेश पत्र में चस्पा रंगीन फोटो में स्वतः का नाम लिखा हुआ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित फोटो होना चाहिये। परीक्षा के समय एक अतिरिक्त पास–पोर्ट फोटो साथ लाना होगा तथा पहचान के रूप में आधार कार्ड/वोटर कार्ड/ड्रायविंग लायसेंस/पेंन कार्ड आदि की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।

(5) आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पूर्ण नाम एवं पता लिखे हुये दो लिफाफे प्रत्येक पर पांच रूपये की डाक टिकट चस्पा करते हुये आवश्यक रूप से संलग्न करें, तथा दो पासपोर्ट साईज फोटो पृथक से भेजे।

(6) ई–मेल, फैक्स, **<u>कोरियर</u>** के द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र स्वीकार नही किये जायेंगें।

(7) बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन पत्र निरस्त माना जायेगा ।

(8) आवेदक को चाहिए की वह विज्ञापन में दिये गये निर्देशों तथा आवेदन पत्र में वांछित सभी जानकारी अत्यंत सावधानी पूर्वक अध्ययन कर सही एवं पूर्ण जानकारी भरें। यदि आवेदन पत्र में त्रुटि तथा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर उनकी पात्रता निरस्त कर दिया जायेगा।

<u>नियुक्ति हेतु चयन विधि</u>

1. <u>स्टेनोग्राफर हिन्दी–</u>

<u>कौशल परीक्षा–</u>

हिन्दी श्रुतलेख/शार्ट–हैण्ड के डिक्टेशन हेतु 80 अंक निर्धारित हैं तथा प्रति मिनट 100 शब्द की गति होना आवश्यक है, डिक्टेशन हेतु 400 शब्द 04 मिनट में लिखना होगा और उसका अनुवाद कर निर्धारित समय 20 मिनट में देना होगा, प्रति शब्द की गलती के लिए 1/5 अंक काटा जाएगा। **कौशल परीक्षा उबुन्टु लाईनक्स (Ubuntu Linux) में ली जायेगी।**

2. <u>स्टेनो टायपिस्ट–</u>

<u>कौशल परीक्षा–</u>

हिन्दी श्रुतलेख/शार्ट–हैण्ड के डिक्टेशन हेतु 80 अंक निर्धारित हैं तथा प्रति मिनट 60 शब्द की गति होना आवश्यक है, डिक्टेशन हेतु 240 शब्द 04 मिनट में लिखना होगा और उसका अनुवाद कर निर्धारित समय 15 मिनट में देना होगा, प्रति

शब्द की गलती के लिए 1/3 अंक काटा जाएगा। **कौशल परीक्षा उबुन्टु लाईनक्स (Ubuntu Linux) में ली जायेगी।**

3. <u>सहायक ग्रेड–03–</u>

<u>कौशल परीक्षा –</u>

सहायक ग्रेड–03 के कौशल परीक्षा हेतु 80 अंक निर्धारित है, तथा 01 मिनट में 25 शब्द की गति होना आवश्यक है, टायपिंग हेतु 400 शब्द 16 मिनट में टाईप करने हेतु पृथक से प्रश्न–पत्र तैयार किया जावेगा। प्रति शब्द की गलती के लिए 1/5 अंक काटा जावेगा। **कौशल परीक्षा उबुन्टु लाईनक्स (Ubuntu Linux) में ली जायेगी।**

टीपः– <u>स्टेनोग्राफर, स्टेनो टायपिस्ट एवं सहायक ग्रेड–03</u> के उम्मीद्वार/अभ्यर्थियों से ऊपर उल्लेखित कौशल परीक्षा के अतिरिक्त, **कम्प्यूटर दक्षता** के संबंध में भी उनका परीक्षण लिया जावेगा, जो निम्नानुसार रहेगा:–

4. **कम्प्यूटर परीक्षण/परीक्षा** हेतु 20 अंक निर्धारित है। <u>कम्प्यूटर परीक्षा हेतु 200</u> शब्द का प्रश्न–पत्र पृथक से तैयार किया जावेगा, जो निर्धारित समय सीमा 20 मिनट में परीक्षार्थी को लिखना होगा, जिसमें 10 अंक **टाईप** हेतु निर्धारित किया गया है।

टाईप करने मे हुई प्रत्येक शब्द की गलती के लिए 1/20 अंक काटा जावेगा।

इसके अतिरिक्त शब्दों को लिखने के संबंध में निम्नानुसार अंक निर्धारित किया गया है:–

1– अण्डर लाईन	01 अंक	2– बोल्ड	01 अंक
3– बुलेट	01 अंक	4– सेंटर	01 अंक
5– हेडर	02 अंक	6– लाईन–स्पेस	02 अंक
7– टेबल	02 अंक		

<u>–: चयन सूची तथा प्रतीक्षा सूची :–</u>

कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के योग कर अंकों के आधार पर वर्गवार मेरिट सूची तैयार की जावेगी। जिसमें से अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की चयन सूची एवं वर्गवार प्रतीक्षा सूची तैयार की जावेगी। प्रतीक्षा सूची परिणाम घोषित होने की तिथि से एक वर्ष तक प्रभावशील रहेगी। समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरियता तय की जावेगी, जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी, उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जावेगी।

–: महत्वपूर्ण निर्देश :–

1. सामान्य प्रशासन विभाग रायपुर का पत्र कमांक 1269/23/मु.म.नि./2014/1–7, दिनांक 23.08.2014 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार के सदस्यों को प्राथमिकता दी जावेगी।
2. चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. चयनित उम्मीदवार को जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वस्थता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करने के बाद ही सेवा में लिया जावेगा।
4. चयनित उम्मीदवारों को जिसे नियुक्ति आदेश जारी किये गये हों, कार्यभार ग्रहण किये जाने के पश्चात् पुलिस सत्यापन नियमानुसार कराया जायेगा, आपराधिक गतिविधियों में शामिल पाये जाने की दशा में नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
5. चयन प्रक्रिया के संबंध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा का निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा।
6. यह विज्ञप्ति बिना किसी कारण बताये किसी भी समय निरस्त की जा सकेगी।
7. जो अभ्यर्थी चयन प्रकिया एवं परीक्षा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेंगे, उसकी उम्मीद्वारी किसी भी स्तर पर निरस्त कर दी जायेगी।
8. नियत समय के पूर्व प्रवेश पत्र प्राप्त नही होने पर संबंधी अभ्यर्थियों के द्वार जिला न्यायालय दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के वेबसाईट https://districts.ecourts.gov.in/dantewada से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकता है। प्रवेश पत्र में अभ्यर्थियों को अपना वर्तमान रंगीन फोटो चस्पा एवं स्व–हस्ताक्षरित कर प्रस्तुत करना होगा।
9. आवेदक, पहचान संबंधी दस्तावेज–आधार कार्ड या वाहन चालन लाईसेंस या मतदाता परिचय पत्र की मूलप्रति के साथ उपस्थित होगें अन्यथा अनुपलब्धता के दशा में परीक्षा सम्मिलित होने से वंचित किया जा सकेगा।
10. कौशल परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र पर अंकित निर्धारित समय और स्थान पर उपस्थित रहना होगा। उन्हें किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में परीक्षा एक से अधिक पाली में ली जा सकेगी।
11. प्राप्त आवेदन पत्रों की परीक्षण उपरांत पात्र एवं अपात्र आवेदकों की सूची का प्रकाशन जिला न्यायालय दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के वेबसाईट https://districts.ecourts.gov.in/dantewada तथा कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशित किया जायेगा। उक्त प्रकाशन के संबंध में यदि कोई आपत्ति हो तो आवेदक 07 दिवस के भीतर स्वतः आकर लिखित आपत्ति चयन समिति के समक्ष पेश कर

सकेंगे। अंतिम पात्र उम्मीद्वरों की सूची आपत्ति के निराकरण पश्चात वेबसाईट पर प्रकाशित की जायेगी।

महत्वपूर्ण टीपः–

यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तों को पूरा करते है। आवेदन करने से पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। परीक्षा में शामिल किये जाने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्हर मान लिया गया है। चयन के किसी स्तर पर आवेदक के अनर्हर पाये जाने की दशा में आवेदन पत्र निरस्त कर उम्मीदवारी समाप्त मानी जावेगी। नियुक्ति के पश्चात कोई सारवान जानकारी छुपाये जाने पर कभी भी सेवा समाप्त की जा सकेगी।

टीप :– छ.ग. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, रायपुर का पत्र क्रमांक 6294/1329/21–अ/स्था./19 दिनांक 27.06.2019 एवं छ.ग.शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर जिला रायपुर के पत्र क्रमांक एफ–1–1/2012/1–3 दिनांक 30.05.2019 के अनुसार "बस्तर तथा सरगुजा संभाग के अन्तर्गत आने वाले जिलों के मात्र **स्थानीय निवासी** ही, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों में उद्भूत रिक्तियों पर भर्ती हेतु पात्र होने का निर्देश है।" इसलिये बस्तर संभाग के अभ्यर्थी के आवेदन पत्र ही स्वीकार योग्य रहेगा।

दिनांकः– 12/01/22

स्थानः– दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा।

12/01/22

अध्यक्ष,
भर्ती/चयन समिति,
जिला न्यायालय,
दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.)

आवेदन पत्र का प्रारूप

(स्टेनोग्राफर–हिन्दी, सहायक ग्रेड–3 एवं स्टेनो टायपिस्ट के पद पर नियुक्ति हेतु)

आवेदन का स्वहस्ताक्षरित नवीनतम पासपोर्टसाईज रंगीन फोटो, नाम एवं दिनांक सहित

प्रति,

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ0ग0)

1. आवेदित पद का नाम : ....
2. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) : ....
   (अंग्रजी के ब्लॉक लेटर्स में) : ....
3. लिंग– पुरूश संकेतक–1, महिला संकेतक–2 [ ]
4. **पिता / पति** का नाम : ....
5. (अ) पत्र व्यवहार का वर्तमान पता : ....
   (हिन्दी में) : ....
   : ....
   (ब) स्थाई पता : ....
   ....
   ....
6. (अ) जन्म तिथि (अंको में) [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
   (शब्दों में) : ....
   (ब) दिनांक 01 / 01 / 2022 को आयुः .... वर्ष .... माह .... दिन
7. आवेदक का मोबाईल नंबर : ....
8. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है ? **हॉं / नहीं** [ ]
   (यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

9. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए घोषित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है ? **हॉ/नहीं** [ ]
(यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

10. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग अंकित करें। [ ]

11. क्या आवेदक दिव्यांग है ? **हॉ/नहीं** [ ]

12. दिव्यांगता का प्रकार एवं प्रतिशत : ....

13. क्या आवेदक भूतपूर्व सैनिक है ? **हॉ/नही** [ ]
(यदि हां, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

14. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन कमांक [ ] दिनांक [ ]

15. रोजगार कार्यालय का नाम : ....

16. क्या आप विवाहित है ? **हॉ/नहीं** [ ]

17. यदि विवाहित है तो विवाह की तिथि [ ]

18. जीवित बच्चों की संखा [ ]

क0	नाम	लिंग	जन्म तिथि
1.	2.	3.	4.

19. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता :—

क0	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	बोर्ड/ वि.वि. का नाम	विषय	प्राप्तांक/ पूर्णाक	प्रतिशत
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1						
2						
3						
4						
5						

20. क्या आवेदक शासकीय/अर्धशासकीय संस्था में सेवारत है ? **हॉ/नहीं** [ ]
(यदि हां, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

21. स्वप्रमाणित संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :–

टीप – प्रमाण पत्र नीचे दिये अनुक्रम में संलग्न करें।

प्रमाण पत्र का नाम	संलग्न है/संलग्न नहीं।
1- हाई स्कूल प्रमाण पत्र	....
2. हायर सेकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र	....
3. स्नातक प्रमाण पत्र	....
4. स्नाकोत्तर प्रमाण पत्र	....
5. हिन्दी/अंग्रजी शीघ्रलेखन प्रमाण पत्र	
6. हिन्दी/अंग्रजी मुद्रलेखन प्रमाण पत्र .	....
7. कम्प्युटर योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र	....
8. छ0ग0 का मूल निवास प्रमाण पत्र	....
9. छ0ग0 का स्थायी जाति प्रमाण पत्र	....
10. दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र	....
11. जीवित रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र	....
12. अन्य –	....

घोषणा

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि ये झूठे पाये जाते है,तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त किये जाने योग्य होगी।

दिनांक:

स्थान :..............................

आवेदन का हस्ताक्षर–.................................

नाम एवं पूरा पता–......................................

मोबाईल नं.– ....

ई–मेल– ....

(यदि हो तो मोबाईल नंबर एवं ई–मेल अनिवार्य रूप से भरें)

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र :—

स्टेनोग्राफर हिन्दी / सहायक ग्रेड–3 / स्टेनो टायपिस्ट के पद हेतु।

आवेदन का स्वहस्ताक्षरित नवीनतम पासपोर्टसाईज रंगीन फोटो, नाम एवं दिनांक

आवेदक का पंजीयन कमांक :————————

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :————————

आवेदित पद का नाम :————————

अभ्यर्थी का नाम :————————

पिता / पति का नाम :————————

वर्ग–
(अना. / अ.जा. / अ.ज.जा. / अ.पि.व.):————————

परीक्षा तिथि :————————

समय :————————

परीक्षा केन्द्र :————————

कार्यालयीन उपयोग हेतु परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

अध्यक्ष,
भर्ती / चयन समिति,
जिला न्यायालय,
दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.)

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश:—

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। विलंब से उपस्थित होने पर परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल काले अथवा नीले बाल पेन का ही उपयोग करें। आवेदन पत्र के पंजीयन कमांक तथा अनुकमांक की जानकारी परीक्षार्थी जिला न्यायालय के वेबसाईट https://districts.ecourts.gov.in/dantewad से भी प्राप्त कर सकते है।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र, शस्त्र, कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, कैल्कुलेटर, मोबाईल, लॉग टेबल, ब्लू टूथ आदि रखना वर्जित है अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित कर दिया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना / चस्पा करना अनिवार्य है। एक अतिरिक्त फ़ोटो साथ लेकर आवश्यक रूप से लावें।
5. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन,परीक्षा कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।